संतोषजनक सेवा प्रदान कर रहे हैं तथापि सीमांत क्षेत्रों में रिसेप्सन प्राप्त करने हेतु उन्नत एंटिनाओं और बूस्टरों की आवश्यकता है ।

विवरण

राज्य	1993–94 के दौरान संचालनार्थ परिकल्पित कार्यक्रम निर्माण केन्द्र
1. असम	3
2. अरूणाचल प्रदेश	1
3. बिहार	2
4. हिमाचल प्रदेश	1
5. जम्मू और कश्मीर	1
6. कर्नाटक	1
7. मेघालय	2
8. मणिपुर	1
9. मिजोरम	1
10. नागालैंड	1
11. मध्य प्रदेश	1
12. उत्तर प्रदेश	1
13. पश्चिम बंगाल	1
14. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह/संघ शासित क्षेत्र	

सेंसरशिप नियमों में परिवर्तन

2602. **श्री मोहम्मद सलीम :**
श्रीमती सरला माहेश्वरी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फ़िल्मों के सेंसरशिप से संबंधित नियमों में परिवर्तन करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त नियमों में परिवर्तनों से किन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5ख (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को फिल्मों के प्रमाणन हेतु मार्ग-निर्देश जारी कर सकती है । अन्य बातों के साथ-साथ फिल्मों में सैक्स तथा हिंसा से निबटने के प्रयोजनार्थ पहले जारी किये गये मार्ग-निर्देशों को सरकार द्वारा, 6–12–91 को संशोधित किया गया । सेंसरशिप उपबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने का उद्देश्य से चलचित्र अधिनियम, 1952 को संशोधित करने हेतु एक बिल 18–8–92 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया है ।

Functions of the Broadcasting council of India

2603. *SHRI SURESH PACHOURI:* Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 188 given in the Rajya Sabha on the 24th November, 1992; and state:

(b) what are the salient features of the Broadcasting Council of India; and

(b) what function the Council has been entrusted with do discharge?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) and (b) The Air Time Committee of India which comprises of a Chairman and eight other members (including 3 ex-officio members) is required to perform the functions mentioned in the attached statement.